भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1198
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बाढ़ और भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए राज्यों को सहायता

1198. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों के आकलन के अनुसार वर्ष 2025 में बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और भारी वर्षा के कारण कुल कितना नुकसान हुआ है;

(ख) नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात केंद्रीय टीमों और उनके निष्कर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षतिग्रस्त या बह गए घरों सहित बुनियादी ढांचे पुनर्निर्माण और किसानों को मुआवजे के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): यह मंत्रालय किसी भी आपदा से हुए नुकसान का केंद्रीय स्तर पर डेटा नहीं रखता है। हालाँकि, विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चालू वर्ष 2025-26 (23.11.2025 तक) के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं से हुए नुकसान का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): दिनांक 03.12.2025 तक, वर्ष 2025 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के मौके पर आकलन के लिए ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए कुल 11 अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) गठित किए गए हैं। टीम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1198, दिनांक 10/12/2025

(ग): प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में दी जाती है, न कि नुकसान/दावा की भरपाई के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालाँकि, भूस्खलन और बाढ़ सहित अधिसूचित आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से प्रदान की जाती है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार को पहले से ही राज्य सरकार के पास उपलब्ध एसडीआरएफ राशि से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत उपाय करने होते हैं।

चालू वित्त वर्ष (30 नवंबर, 2025 तक) के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत सभी राज्यों को 16118.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया है। राज्यों को एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

*****

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1198, दिनांक 10/12/2025

अनुलग्नक

01.04.2025 से 23.11.2025 तक जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए नुकसान का विवरण

क्र. सं.	राज्य	मानव जीवन की हानि (संख्या)	मवेशी की हानि (संख्या)	मकान/झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त (संख्या)	प्रभावित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	530	994	3760	1.506
2	अरुणाचल प्रदेश	14	383	784	0.072
3	असम	35	14269	39841	0.41
4	बिहार	76	--	843	--
5	छत्तीसगढ	63	395	356	0.0068
6	गोवा	--	--	244	--
7	गुजरात	101	3352	14114	--
8	हरियाणा	06	26	2745	4.32
9	हिमाचल प्रदेश	170	31545	10387	324.27
10	झारखंड	06	16	159	0.0017
11	कर्नाटक	91	1391	17803	14.81
12	केरल	64	--	6225	--
13	मध्य प्रदेश	501	1906	6042	--
14	महाराष्ट्र	160	599	3598	75.42
15	मणिपुर	03	709	18248	0.024
16	मेघालय	20	39	1718	0.065
17	मिजोरम	07	03	04	--
18	नागालैंड	03	250	2684	0.0058
19	ओडिशा	03	517	6216	0.29
20	पंजाब	40	7167	14065	1.93
21	राजस्थान	74	71	51	--
22	सिक्किम	18	08	2120	8.11
23	तमिलनाडु	43	985	3448	0.29
24	तेलंगाना	--	--	--	--
25	त्रिपुरा	43	07	8352	--
26	उत्तर प्रदेश	68	--	446	2.22
27	उत्तराखंड	142	864	7254	0.0073
28	पश्चिम बंगाल	--	--	--	--
29	अंडमान और निकोबार	--	-	12	--
30	चंडीगढ़	--	--	--	--
31	दादर और नगर हवेली	--	--	01	--
32	दिल्ली	--	--	--	--
33	जम्मु और कश्मीर	107	11693	7392	0.78
34	पुदुचेरी	--	--	13	0.001
	कुल	**2388**	**77189**	**181459**	**434.54**